

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

—विविध—आदेश—

(कार्य-विभाजन में संशोधन)

क्रमांक...../
/दो-1-1/2000

रीवा, दिनांक 04/11/2025

श्रीमती श्रुष्टि चौरसिया, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा का मातृत्व एवं संतान पालन अवकाश पश्चात् उपस्थित होने के फलस्वरूप मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-10 की उपधारा-2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक-448/दो-1-1/2000 दिनांक 22/07/2025 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा:-

1. सरल क्रमांक-37 के स्तम्भ क्रमांक-2 में "द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा" के नाम के आगे लिखे "रिक्त न्यायालय" को विलोपित करते हुए स्तम्भ क्रमांक-03 में "सिविल जिला रीवा" को स्थापित किया जाकर स्तम्भ क्रमांक-4 में "प्रधान जिला न्यायाधीश द्वारा समय-समय पर अंतरित किये जाने वाले प्रकरण एवं उनसे उद्भूत निष्पादन व विविध प्रकरण" को जोड़ा जाता है।

2. परिशिष्ट-अ की कंडिका 33 को संशोधित कर निम्नानुसार पढ़ा जावे:-

क्र.	न्यायालय का नाम	अनुपस्थिति में जो कार्य देखें
33	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा
33-अ	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा	1. तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा 2. अष्टम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड रीवा

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

स/1
(राकेश मोहन प्रधान)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

रीवा, दिनांक 04/11/2025

पृष्ठांकन क्र0 5434 /
/दो-1-1/2000

प्रतिलिपि:-

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय रीवा।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/सिरमौर/मऊगंज/त्योथर।
3. प्रस्तुतकार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा।
4. जे0एस0ए0/डी0एस0ए0/फाईलिंग काउण्टर रीवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

स/2
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)